

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 177/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 12.07.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/177

मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल देराश्री, उम्र बालिग, निवासी ग्राम भैंसरोड़गढ़
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय
न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा प्रकरण संख्या 78/2022 निर्णय दिनांक
09.06.2022

उपस्थिति:-1- श्री खुमराज कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 11.11.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का, भैंसरोड़गढ़ की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भैंसरोड़गढ़ की आराजी नम्बर 699 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बिलानाम बंजड़ भूमि पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा मानते हुए दिनांक 09.06.2022 को अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली, पेनल्टी लगान 1/- रुपये का 50 गुणा यानि 50/- रुपये शास्ति



प्र. सं. 177/2022 (स. अ.)
मोहनलाल पुत्र स्व. मांगीलाल देराश्री निवासी भैंसरोड़गढ़ बनाम पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़

आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, रावतभाटा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भैंसरोड़गढ़ के पटवार हल्का भैंसरोड़गढ़ की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का ग्राम भैंसरोड़गढ़ की आराजी नम्बर 699 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बिलानाम बंजड़ भूमि पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली, लगान 1/-रु. का 50 गुणा जुर्माना यानि 50/-रुपये शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। दिनांक 24.05.2022 को अपीलांत अपने अधिवक्ता के मार्फत् अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा उसने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा तथा प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त भूमि जिस पर माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केन्द्रीय भोपाल द्वारा दिनांक 07.11.2016 को यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेश दे रखे हैं जिसके प्रकरण संख्या 06/2016 है, उसकी प्रति भी पेश करना चाही तथा उक्त स्थगन आदेश की पालना में कार्यवाही स्थगित रखे जाने हेतु निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया तथा विवादित आदेश पारित कर दिया जो विधि-विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पटवार हल्का से जिरह करने तथा अपना पक्ष रखने, दस्तावेज पेश करने का मौका दिए बिना उक्त आदेश जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पटवार हल्का ने अपनी रिपोर्ट में चार दिवारी का पक्का निर्माण कर अतिचार करने की बात लिखी है, पक्का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हुआ है तथा विवादित आराजीयात पर अपीलार्थी का वर्षों से कब्जा होकर वर्षों पूर्व निर्माण किया हुआ है तथा आस-पास आबादी बसी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपीलार्थी के विरुद्ध यह बेदखली का आदेश पारित किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को उनके प्रतिरक्षा, जवाब, जिरह का सम्पूर्ण अवसर देने के बाद ही निर्णय पारित करें किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विधिवत् अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः



अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.06.2022 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से आगे एक पक्की दुकान, टिनशेड़, कच्चा मकान एवं पत्थकोट से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः अपीलार्थी का कथन कि पटवार हल्का से जिरह करने, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेज पेश करने तथा जवाब पेश करने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में ग्राम भैंसरोड़गढ़ की प्रश्नगत आराजी पर उसका वर्षों से पुराना कब्जा एवं वर्षों पूर्व से निर्माण किया होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थी के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम भैंसरोड़गढ़ की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 699 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बिलानाम बंजड़ भूमि है जिस पर अपीलार्थी ने एक पक्की दुकान, टिनशेड़, कच्चा मकान तथा पत्थर कोट से नाजायज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। जहां तक अधिवक्ता अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा उनके प्रकरण संख्या 06/2016 में दिनांक 07.11.2016 को यथास्थिति के आदेश संबंधी कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि उक्त स्थगन हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का भैंसरोड़गढ़ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का ग्राम भैंसरोड़गढ़ की आराजी नम्बर 699 रकबा 0.09 हैक्टेयर किस्म बिलानाम बंजड़ भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने तथा जुर्माना लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(गितेश श्री मालवीय)

